

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 06/07/2017

क्रमांक F-5-5/2005/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.11.2015 द्वारा शासकीय महाविद्यालय रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित की गई है। उक्त आदेशों में संशोधन करते हुए शिक्षा सत्र 2017-18 से शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित द्वितीय बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रमों में सीधी एवं विभागीय सीटों में प्रवेश के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करता है:-


क	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र)		कुल राशि (प्रति छात्र)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
1.	बी.एड.	7000/- (1000 (काशनमनी))	6000/-	13000/-
2	एम.एड.	8000/- (1000 काशनमनी)	7000/-	15000/-

शिक्षा सत्र 2017-18 से राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बी.एड./द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रमों में निर्धारित शुल्क का विवरण:-

बी.एड. पाठ्यक्रम

क.	मदवार शुल्क का नाम	वर्तमान में निर्धारित शुल्क	संशोधित शुल्क	विशेष
1.	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा/वि.व. एवं अन्य अंशदान	600=00	400=00	
2.	मूल्यांकन/जांच परीक्षा, सात्रिक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य	500=00	400=00	
3.	साहित्यिक/सांस्कृतिक क्रियाकलाप	1000=00	500=00	

-----02



4.	समाज सेवा/सामुदायिक सहभागिता/ग्रामीण शिविर संबंधी क्रियाकलाप	400=00	300=00	
5.	विज्ञान एवं गणित प्रायोगिकी/मनोविज्ञान परीक्षण/लैंग्वेज लैब	500=00	500=00	
6.	कला शिक्षा एवं पेशेवर क्षमता विकास	500=00	400=00	
7.	पत्रिका एवं प्रकाशन/बुलेटिन/वाचनालय	400=00	400=00	
8.	शैक्षणिक स्थलों का भ्रमण	500=00	500=00	केवल राज्य स्तर के भ्रमण के लिए
9.	छात्र कल्याण निधि/महाविद्यालय विकास निधि	100=00	500=00	
10.	सेमिनार, वर्कशाप एवं व्याख्यानमाला	500=00	300=00	
11.	प्रशिक्षार्थियों के लिए स्टेशनरी	500=00	800=00	
12.	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु कार्यशाला	300=00	300=00	
13.	आईसीटी (कम्प्यूटर का उपयोग एन्टी वायरस, नये सॉफ्टवेयर इत्यादि)	200=00	700=00	
14.	काशनमनी (पाठ्यक्रम समाप्ति उपरांत राशि वापस होगी)	1000=00	1000=00	
योग		7000=00	7000=00	

एम.एड. पाठ्यक्रम

क्र.	मदवार शुल्क का नाम	वर्तमान में निर्धारित शुल्क	संशोधित शुल्क	विशेष
1.	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा/वि.व. एवं अन्य अंशदान	600=00	400=00	
2.	मूल्यांकन/जांच परीक्षा	400=00	1000=00	
3.	सात्रिक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य	1000=00	500=00	
4.	मनोविज्ञान प्रायोगिक एवं साइकोमेट्रिक आंकलन	300=00	300=00	
5.	पत्रिका एवं प्रकाशन/बुलेटिन/रिसर्च जर्नल/वाचनालय	1000=00	800=00	

6.	छात्र कल्याण निधि/महाविद्यालय विकास निधि	100=00	500=00	
7.	सेमिनार, वर्कशॉप व पेपर प्रेजेन्टेशन	1000=00	1000=00	
8.	प्रशिक्षार्थियों के लिए स्टेशनरी	500=00	800=00	
9.	शोध अनुसंधान/ उपकरण निर्माण	1000=00	600=00	
10.	आईसीटी (कम्प्यूटर का उपयोग एन्टी वायरस नये सॉफ्टवेयर इत्यादि)	500=00	500=00	
11.	राष्ट्रीय/राज्य स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का भ्रमण	600=00	600=00	केवल राज्य स्तर के भ्रमण के लिए
12.	काशनमनी (डिग्री प्राप्ति उपरांत राशि वापस होगी)	1000=00	1000=00	
	योग	8000=00	8000=00	


द्विवर्षीय बी.एड./एम.एड.पाठ्यक्रम के लिए मदवार शुल्क का विवरण फीस संबंधी निर्देश :-

1. संबंधित शासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का (विश्वविद्यालय के परीक्षा/पात्रता/नामांकन शुल्क व काउंसिलिंग शुल्क के अतिरिक्त) कोई शुल्क प्रशिक्षार्थियों से पूरे सत्र में नहीं लिया जाएगा।
2. विभिन्न क्रियाकलाप हेतु प्राप्त राशि से ही प्राचार्य के द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी। एकाउंट संबंधित शिक्षा महाविद्यालयों में खुलेगा।
3. सत्रारंभ के समय महाविद्यालय का कैलेण्डर निर्माण किया जावेगा एवं सभी प्रस्तावित गतिविधियों का आयोजन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन सत्रांत के पश्चात् परिषद् को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, को अपने कार्य क्षेत्र में डाइट/बी.टी.आई. का क्षेत्रीय क्रीड़ा, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं शिक्षा सम्मेलन आयोजित करना होगा। इस हेतु संबंधित संस्थाओं के लिए फीस की स्वीकृति दी जा चुकी है।
5. छात्र के एक बार प्रवेश लेने के पश्चात् किसी भी स्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
6. महाविद्यालय को वित्तीय वर्ष के अंत में CA ऑडिट कराकर ऑडिट रिपोर्ट अपने Website में अपलोड करना होगा साथ ही रिपोर्ट SCERT को भेजना होगा।

7. एम.एड. व बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 1000/- काशनमनी प्रतिछात्र लिये जायेंगे जिसे महाविद्यालय द्वारा दूसरे वर्ष अंतिम परीक्षा के उपरान्त छात्रों को वापस किया जायेगा।
8. किसी भी विवाद एवं मद के स्पष्टीकरण के संबंध में संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(सुरेन्द्र सिंह बाघे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


पृ0कमांक एफ 5-5/2005/20-तीन

रायपुर, दिनांक 06/07/2017

प्रतिलिपि:-

- (1) विषेश सहायक, मान. मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (2) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर, की ओर उनके पत्र क्रमांक शिक्षक-शिक्षा/30-1/बी.एड./प्रवेश शुल्क/2017-18/3075 दिनांक 30.05.2017 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित। कृपया सर्व संबंधितों की ओर आदेश की प्रति भेजने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- (3) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- (4) आयुक्त, आदिम जाति/अनु.जाति/अल्पसंख्यक विकास विभाग, रायपुर।
- (5) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग